OFFICE OF THE COMMISSIONER OF POLICE : DELHI.
POLICE HEADQUARTERS, JAI SINGH ROAD, NEW DELHI 110001.
Telephone No. 011-23746100 Extn. 69970.

FOR PUBLICATION IN DELHI POLICE GAZETTE
(ORDERS BY THE JOINT COMMISSIONER OF POLICE/ HQ: DELHI)

NOTIFICATION

Dated 10/11/2026

No. 79223 /CB-V/PHQ: **ADMISSION OF NAME TO PROMOTION LIST (SPECIALIZED/TECHNICAL):-** The name of Sub-Inspr. (Finger Print Bureau) Sudhir Bhalla, D-4002 (PIS No. 24950002) (UR) as recommended by the D.P.C, is brought on Promotion List (Specialized/Technical) w.e.f. **23.10.2026** for the post of Inspector (Finger Print Bureau) in accordance with Rule 17 (ii) of Delhi Police (Promotion & Confirmation) Rules 1980 read with Rule 20-A (iii) of the Delhi Police (Appointment & Recruitment) Rules, 1980.

No. 79224 /CB-V/PHQ: **PROMOTION:-** Sub-Inspr. (Finger Print Bureau) Sudhir Bhalla, D-4002 (PIS No. 24950002) (UR) whose name stands on Promotion List (Specialized/Technical), is promoted to officiate as Inspector (Finger Print Bureau) w.e.f. **23.10.2026** and placed on probation for a period of two years.

On Promotion, he is posted/allocated to Crime Unit, Delhi.

C. G. No P101126-143-0002

This notification is subject to further orders that may be passed by the Hon'ble Supreme Court in the Jarnail Singh batch of cases as mentioned in DOPT's O.M. No. 36012/16/2019-Estt. (Res.), dated 12.04.2022.

10.11.2026

(AJAY KRISHAN SHARMA)IPS
JOINT COMMISSIONER OF POLICE:
HEADQUARTERS: DELHI

No. 79225-232 /CB-V/PHQ dated Delhi, the 10/11/2026.

Copy for information and necessary action to the:-

1. DCP/Crime, Delhi w.r.t. his office memo. No. 15257/CR-I/Crime, dated 06.07.2026. The individual may also be asked to opt for choosing the date of fixation of pay on promotion, if any, under rule FR-22 (I)(a)(I) and GOI's order No. 17 below FR-22, as per PHQ's endst. No. 14048-99/CR-II/PHQ dated 28.08.2008.
2. DCsP/ IT (PHQ) & P&L, Delhi.
3. Inspr. Estt. (PHQ) with one spare copy for publication in Delhi Police Gazette.
4. AC - 'R', Computer & Transfer-Posting Cell/CB/PHQ.
5. AC-III with one (01) spare copy for placing the same in his Personal file.

P.T.O.

कार्यालय पुलिस आयुक्त : दिल्ली
पुलिस मुख्यालय, जय सिंह रोड, नई दिल्ली-110001
दूरभाष नं. 011-23746100, एक्सटेंशन 69970
दिल्ली पुलिस गजट में प्रकाशन हेतु
(संयुक्त आयुक्त पुलिस /मुख्यालय-: दिल्ली के आदेशानुसार)

अधिसूचना

दिनांक 10/11/2026

सं. 79223 **/ गोपनीय शाखा-V/पुलिस मुख्यालय: पदोन्नति सूची (स्पेशलाइज्ड /तकनीकी) में नाम शामिल करना:-** विभागीय पदोन्नति समिति (D.P.C.) द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार, उप-निरीक्षक (फिंगर प्रिंट ब्यूरो) सुधीर भल्ला, D-4002 (पीआईएस संख्या 24950002) (अनारक्षित) का नाम दिल्ली पुलिस (नियुक्ति और भर्ती) नियम, 1980 के नियम 20-ए (iii) के साथ पठित दिल्ली पुलिस (पदोन्नति और पुष्टि) नियम 1980 के नियम 17 (ii) के अनुसार, निरीक्षक (फिंगर प्रिंट ब्यूरो) के पद के लिए दिनांक **23.10.2026** से पदोन्नति सूची (स्पेशलाइज्ड /तकनीकी) में शामिल किया जाता है।

सं. 79224 **/ गोपनीय शाखा-V/पुलिस मुख्यालय:: पदोन्नति:-** उप-निरीक्षक (फिंगर प्रिंट ब्यूरो) सुधीर भल्ला, D-4002 (पीआईएस संख्या 24950002) (अनारक्षित), जिनका नाम पदोन्नति सूची (स्पेशलाइज्ड /तकनीकी) में शामिल हैं, को एतद्द्वारा दिनांक **23.10.2026** से कार्यवाहक निरीक्षक (फिंगर प्रिंट ब्यूरो) के पद पर पदोन्नत किया जाता है और दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जाता है।

पदोन्नति होने पर, उन्हें क्राइम यूनिट, दिल्ली में तैनात/आवंटित किया जाता है।

कम्प्यूटर जनित संख्या: *पी- 10 1126-143-0002*

यह अधिसूचना कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) के कार्यालय ज्ञापन सं. 36012/16/2019-स्था. (आरक्षित), दिनांक 12.04.2022 में उल्लिखित जरनैल सिंह मामलों के समूह में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित किए जाने वाले आगामी आदेशों के अधीन है।

अजय कृष्ण शर्मा
11.10.2026

(अजय कृष्ण शर्मा) भा. पु. से.
संयुक्त आयुक्त पुलिस
मुख्यालय: दिल्ली

सं. 79225-232 / गोपनीय शाखा-V/पुलिस मुख्यालय, दिल्ली, दिनांक 10/11 /2026

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित:-

1. पुलिस उपायुक्त (DCP), अपराध शाखा (Crime Unit), नई दिल्ली के कार्यालय पत्रांक 8897/CR-III/PCR, dated 27.07.2026 के संदर्भ में । कर्मचारी से पदोन्नति पर वेतन निर्धारण (fixation of pay) की तिथि चुनने का विकल्प चुनने के लिए भी कहा जा सकता है, यदि कोई हो, जो कि नियम FR-22 (I)(a)(I) और FR-22 के नीचे भारत सरकार के आदेश संख्या 17 के तहत, PHQ के पृष्ठांकन (endst.) संख्या 14048-99/CR-II/PHQ दिनांक 28.08.2008 के अनुसार होगा।
2. पुलिस उपायुक्त/आई.टी. (पुलिस मुख्यालय), दिल्ली।
3. निरीक्षक / स्थापना (पुलिस मुख्यालय) को दिल्ली पुलिस गजट में प्रकाशन के लिए ।
4. प्रभारी - 'आर', कंप्यूटर और टी/पी सेल, सीबी/ पुलिस मुख्यालय ।
5. प्रभारी – III को एक अतिरिक्त प्रति के साथ उनकी व्यक्तिगत फाइल में रखने के लिए।

P.T.O